

उपखण्ड अधिकारी  
रूपनगढ़ (अजमेर)

सम

सुपुन

3-11-23 परावली पैराडु ही ककील वादी उपस्थित। ककील  
वादी ने प्रकरण में नोट प्रस्तुत जाहिर किया।

अतः वादी का वाद खारिज किया जाता

है।  
परावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से  
कम हो।

A ————— 03.11.23 ✓  
उपखण्ड अधिकारी  
रूपनगढ़ (अजमेर)

